

परियोजना का नाम:-कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, 0.00 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि वन भूमि 0.00 है०) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1-श्री गौरव चटवाल, उपजिलाधिकारी रामनगर - अध्यक्ष
- 2-श्री शिशपाल सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य
- 3-श्रीमती नीलम ज्योति, सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य/सचिव
- 4-श्रीमती कमला देवी - बी०डी०सी० क्षेत्र जस्सागांजा -सदस्य
- 5-श्री विजय कुमार - बी०डी०सी० क्षेत्र दयारामपुर टाण्डा -सदस्य
- 6-श्री सुनील सिंह - बी०डी०सी० क्षेत्र कन्दला थारी -सदस्य
- 7-श्रीमती कविता बिष्ट - बी०डी०सी० क्षेत्र पूरही रामनगर -सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज के अन्तर्गत कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण हेतु 181.00 है० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - रामनगर
जनपद - नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

क्षेत्र पंचायत सदस्य

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)

2- विजय कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
दयारामपुर टाण्डा
वि० ख० रामनगर (नैनी०)

3- सुनील सिंह
क्षेत्र पंचायत सदस्य
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

1- कमला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
जस्सागांजा
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

4- कविता बिष्ट
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पूरही रामनगर
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - कालू सिंह पुइडी नईवस्ती
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

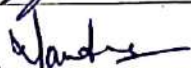
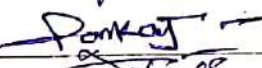
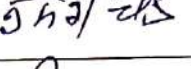
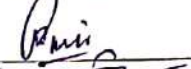
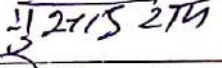
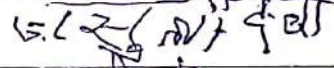
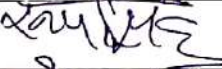
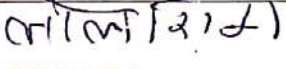
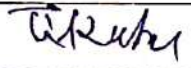
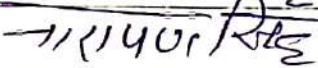
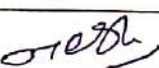
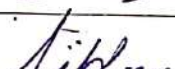
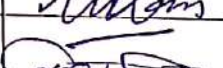
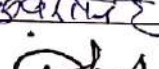
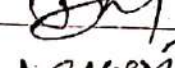
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालू सिंह पुइडी नईवस्ती द्वारा दिनांक 11-9-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालू सिंह पुइडी नईवस्ती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


प्रधान (ग्राम सभा)
ग्राम-कालू सिंह पुइडी नईवस्ती
पि० सं० रामनगर
जिला-नैनीताल

दिनांक 11-09-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...कालूसिद्ध, पुछड़ी नई बस्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कृष्णलाल सिंह	
2	संजय नारायण	
3	नन्दन सिंह रावत	
4	Ramesh Chandra Rawat	
5	रवि चन्द	
6	रवि चन्द	
7	गुसाई राम	
8	धर्म सिंह	
9	जमुली देवी	
10	रूप सिंह	
11	लीला राम	
12	दीपक सिंह	
13	नारायण सिंह	
14	नारायण कुमार	
15	Ukesh Singh Bhandari	
16	कृष्णलाल सिंह	
17	दीपक सिंह	
18	Ramesh Chandra	
19	गुसाई राम	
20	रवती देवी	

प्रधान (मनोनीत)
ग्राम-कालूसिद्ध पुछड़ी नई बस्ती
विधायक-प्रधान रामनगर
जनपद - नैनीताल

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम कालूखिड़ी पुछड़ी में कुल परिवार की संख्या 300 है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 2500 है।
(नई बस्ती)

दिनांक-

हस्ताक्षर-



ग्राम प्रधान का नाम व मोहर-प्रधान (मनोनीत)
ग्राम-कालूखिड़ी पुछड़ी नई बस्ती
वि० ख० - रामनगर
जनप - नैनीताल

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -मंगलार.....किस्क रामनगर
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंगलार द्वारा दिनांक 10-09-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मंगलार (अनुवावंग) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कुसुम
ग्राम प्रधान
ग्राम मंगलार तहसील किस्क रामनगर जिला नैनीताल
हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 10-09-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायतमंगलार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश आग्ने	
2	रुद्र कुमार	
3	सोनु जलाल	
4	हेमन्त बिह	
5	जगमोहन बिह	
6	दिव्या बिह	
7	जीवन नाथ	
8	जनीन नाथ	
9	प्रताप नाथ	
10	दीश बल्लव	
11	विमल जोशी	
12	कमलेश मेहरा	
13	दिनेश-चन्द्र अड्ड	
14	दिवाकर नाथ	
15	मन्नु	
16	अध्या-चन्द्र	
17	विमल कुमार	
18	इराध चन्द्र	
19		
20		

कसम
80/

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत मंगलार
विषय ० रामनगर (नेनी०)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम भगुवावगर में कुल परिवार की संख्या 113 है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 180 है।

दिनांक-

हस्ताक्षर- कुसुम
(कुसुम)
ग्राम प्रधान का नाम व मोहर- प्रधान
ग्राम पंचायत मंगलार
दि० २० रामनगर (मिनी०)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - (जस्सा गाँवा)

तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (जस्सा गाँवा) द्वारा दिनांक 11-09-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (जस्सा गाँवा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

निधि मेहरा

ग्राम प्रधान, जस्सागाँवा
विकास खण्ड, रामनगर

(6396211153)

दिनांक 13-9-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जस्सागांजा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह डांगवाल	नारायण सिंह
2	विराज दत्त जोशी	विराज दत्त जोशी
3	रवीन्द्र सिंह मेहरा	रवीन्द्र सिंह
4	पुष्पाक्ष चन्द	पुष्पाक्ष चन्द
5	दीपक कुमारी	दीपक
6	कुपाल सिंह मेहरा	कुपाल सिंह
7	लीला देवी	लीला देवी
8	हरीश जोशी	हरीश जोशी
9	दिवाकर	दिवाकर
10	विष्णु पन्त	विष्णु पन्त
11	पुष्प सिंह	पुष्प सिंह
12	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
13	हरीश मेहरा	हरीश मेहरा
14	सुनील पन्त	सुनील
15	मोहन सिंह	मोहन
16	रूप सिंह सेनी	रूप सिंह
17	सूरज सिंह डांगवाल	सूरज सिंह
18	गजेंद्र सिंह	गजेंद्र सिंह
19	गोविन्द सिंह नेगी	गोविन्द सिंह
20	पुष्प सिंह	पुष्प सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान

निधि मेहरा
ग्राम प्रधान, जस्सागांजा
विकास, खण्ड, रामनगर

प्रमाण पत्र

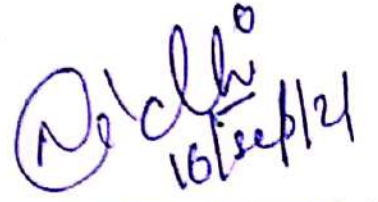
परियोजना का नाम:- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लामान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम जस्सागांजा में कुल परिवार की संख्या 377 है एवं उक्त से लामान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 70 है।

दिनांक- 16/sep/21

हस्ताक्षर-

ग्राम प्रधान का नाम व मोहर-


16/sep/21

ग्राम प्रधान
जस्सागांजा
विकास खण्ड रामनगर
मोबा-6396211153

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - उत्तराखण्ड वन विभाग
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा दिनांक 11-9-20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उत्तराखण्ड वन विभाग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

उत्तराखण्ड
 / ह०/-
 ग्राम प्रधान/सरपंच
 मुहर सहित
पञ्चायती


प्रारूप-30.4

दिनांक 11.9.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत उदयपुर बड़ोबली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मदन लाल उदयपुर बड़ोबली	मदन लाल
2	बलबल नंद उदयपुर बड़ोबली	बलबल नंद
3	जसपाल सिंह	जसपाल
4	इन्द्राज सिंह मल्हार उदयपुर	इन्द्राज
5	मनोहर सिंह मल्हार उदयपुर	मनोहर
6	सुरेन्द्र सिंह बिल उदयपुर बड़ोबली	सुरेन्द्र
7	मनमोहन कुमारी	मनमोहन
8	गोपाल सिंह बिल	गोपाल
9	संजय सिंह बिलपुर रोड	संजय
10	बलबल सिंह	बलबल
11	मान सिंह मल्हार	मान
12	मनमोहन उदयपुर बड़ोबली	मनमोहन
13	इन्द्राज उदयपुर	इन्द्राज
14	मनमोहन मल्हार	मनमोहन
15	गोपाल सिंह बिल	गोपाल
16	गोपाल सिंह बिल	गोपाल
17	मनमोहन मल्हार	मनमोहन
18	मदन लाल	मदन लाल
19	विदेह सिंह	विदेह सिंह
20	दिग्पाल सिंह बिल	दिग्पाल



हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान (प्रतीक)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- कोशी नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोशी नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम उपखनिज चुगान में कुल परिवार की संख्या 220 है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 110 है।

दिनांक- 11.9.20

ग्राम प्रधान का नाम व मोहर-



प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - दयारामपुर 2015
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

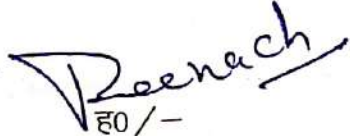
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी-में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दयारामपुर द्वारा दिनांक 10/09/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दयारामपुर (राजहज्ज) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


विजय कुमार
ग्राम पंचायत सचिव
दयारामपुर टाण्डा
वि०ख० रामनगर (नैनी०)


ह०/-
ग्राम प्रधान / सचिव
रवि चौधरी
मुखर सहित प्रधान
ग्राम पंचायत दयारामपुर टांडा
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

10/09/2021

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दयारामपुर 2021

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कृष्ण लाल पाण्डे	
2	श्री विजय प्रकाश चौधरी	
3	श्री मोहन मेहरा	
4	श्री जीवन मेहरा	
5	श्री देवेन्द्र मेहरा	
6	श्री नीरेन्द्र मेहरा सिंह	
7	श्री सुरज चौधरी	
8	श्री केवल लाल चौधरी	
9	श्री मदन लाल चौधरी	
10	श्री रामसहाय चौधरी	
11	श्री रमेश चौधरी	
12	श्री सुरेश चौधरी	
13	श्री दलीप लाल पाण्डे	
14	श्री कुलदीप लाल पाण्डे	
15	श्री बलदेव चौधरी	
16	श्री दुर्गा चौधरी	
17	श्री महेंद्र पाल चौधरी	
18	श्री विजय पाल चौधरी	
19	श्री बलदेव सिंह	
20		

विजय कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
दयारामपुर हीण्डा
बिठूर संसदीय क्षेत्र (सी० ६०)

रीना चौधरी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत दयारामपुर टाँडा
वि० सं० राबनगर (नैनीताल)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- वेदी नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि वेदी नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम पापडी में कुल परिवार की संख्या 100 है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 400 है ।

दिनांक- 18/09/2021

Deenach
दीना चौधरी
हस्ताक्षर
प्रधान

ग्राम प्रधान का नाम वामोहन दयाराम लोडा
वि० ख० रामनगर (ननीताल)

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगाने कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - भवानीपुर बड़ी
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

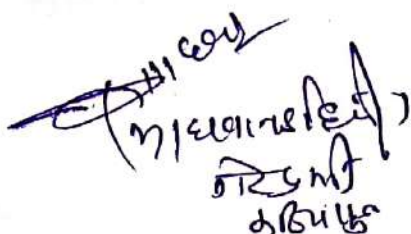
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भवानीपुर बड़ी द्वारा दिनांक 11.09.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भवानीपुर बड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत
अध्यक्ष

ह०/- रूपा देवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
रूपा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत भवानीपुर बड़ी
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

दिनांक 11-09-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - भवानीपुर बड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. सरवजी तारे	Saravjit
2	श्री. रमजी तारे	Ramji Tare
3	श्री. लवजी तारे	Lavji Tare
4	श्री. जितेंद्र तारे	Jitender
5	श्री. लक्ष्मण तारे	Laxman Tare
6	श्री. देवेंद्र भवानीपुर बड़ी	devender yoshi
7	श्री. विनयराज भवानीपुर बड़ी	Vinay
8	श्री. - बंशराज भवानीपुर बड़ी	Bansh
9	श्री. - अमर राय भवानीपुर बड़ी	Amr
10	श्री. विदेह राय भवानीपुर बड़ी	Videh Raut
11	श्री. गोविंद गोस्वामी भवानीपुर बड़ी	Gopin
12	श्री. विवेक राज सिंह भवानीपुर बड़ी	Vivek
13	श्री. पुष्कर सिंह भवानीपुर बड़ी	Pusk
14	श्री. रोहित बिष्टा भवानीपुर बड़ी	Rohit
15	श्री. मदन तिवारी भवानीपुर बड़ी	Madan
16	श्री. लाल चौधरी भवानीपुर बड़ी	Lal
17	श्री. महाश्वरी चौधरी भवानीपुर बड़ी	Mahashwari
18	श्री. सुधीर चौधरी भवानीपुर बड़ी	Sudhir
19	श्री. राव काशी भवानीपुर बड़ी	Ravi
20	श्री. प्रताप रावत भवानीपुर बड़ी	Pratap

ह0/- रूपा देवी
ग्राम प्रधान

रूपा देवी
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत भवानीपुर बड़ी
पि0 ख0 रावत (सहायक)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- कोही.....नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोही.....नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम भवानीपुर बड़ी.....में कुल परिवार की संख्या 150 है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 100 है।

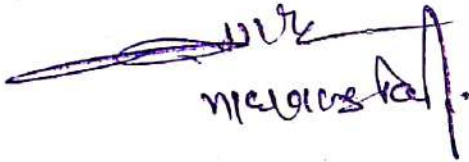
दिनांक- 16/09/21

हस्ताक्षर-

ग्राम प्रधान का नाम व मोहर-

रूपा देवी
रूपा देवी
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत भवानीपुर बड़ी
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)


महाराष्ट्र

प्रारूप--30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - धरमपुर कठियापुल
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

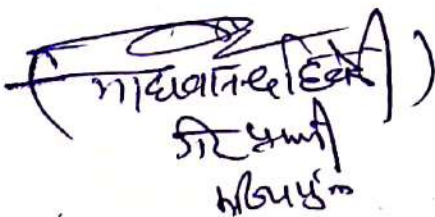
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धरमपुर कठियापुल दिनांक 11-09-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धरमपुर कठियापुल/जीलान-डुर्ग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित


ग्राम प्रधान
धरमपुर कठियापुल


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धरमपुर कठियापुल
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

दिनांक-11-09-2004 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत धरमपुर कठियापुल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री साधिर दुहेन	शक्ति दुहेन
2	श्री सोनी	सोनी
3	श्री शेख -	Shekh
4	श्री साबिर	शब्बीर
5	श्री बबू	बबू
6	श्री इकवाल	इकवाल
7	श्री फरीम	Farim
8	श्री रिजवान	Rizwan Mir
9	श्री मन्पुर	मन्पुर
10	श्री सरताज	सरताज
11	श्री अब्दुल बदीर	अबदीर
12	श्री रामजी सिंह	Ramji
13	श्री कुलसिंह सिंह	Kul Singh
14	श्री रामजी सिंह	Ramji
15	श्री रामजी सिंह	Ramji
16	श्री रामजी सिंह	Ramji
17	श्री रामजी सिंह	Ramji
18	श्री रामजी सिंह	Ramji
19	श्री रामजी सिंह	Ramji
20	श्री रामजी सिंह	Ramji

ह0/-
ग्राम प्रधान

शब्बिया
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धरमपुर कठियापुल
वि0 ख0 रामनगर (नैनीताल)

प्रमाण पत्र

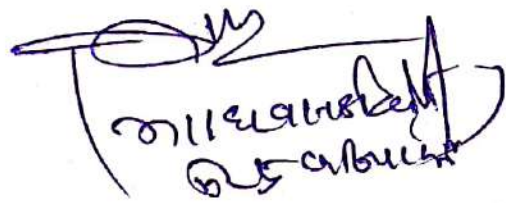
परियोजना का नाम:- कोसी.....नदी में उपखनिज चुगान कार्य ।
लाभान्वित होने वाले ग्राम/परिवार/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी.....नदी से उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण से
ग्राम कठियापुल.....में कुल परिवार की संख्या 120.....है एवं उक्त से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
की संख्या 48..... है।

दिनांक- 16/09/21

हस्ताक्षर-

ग्राम प्रधान का नाम व मोहर-


गाम प्रधान
कठियापुल


शबिया
ग्राम पंचायत धरमपुर कठियापुल
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कन्दमारी, अरमपुरी

तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कन्दमारी, अरमपुरी द्वारा दिनांक 10-09-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कन्दमारी, अरमपुरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

1- होरी सिंह होरी सिंह

2- जसवीर सिंह जसवीर सिंह

3- जसवीर सिंह जसवीर सिंह

4- जसवन्त सिंह

5- Govinda Singh Govinda Singh

6- विजयपाल सिंह विजयपाल सिंह

7- जेम सिंह जेम सिंह

8- अमर सिंह अमर सिंह

(9) अमर सिंह अमर सिंह

(10) शिव
शिव
शिव

शिव
शिव
शिव

मनप्रीत सिंह
प्रधान-
ग्रामपंचायत/समस्तुला
विभाग सहितार (नैनीताल)

रामनगर रेंज
रामनगर रेंज
रामनगर रेंज
रामनगर रेंज

दिनांक ३०.०९.२०१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कन्दला, करणपुरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जलवीर सिंह	जलवीर सिंह
2	" दारी सिंह	दारी सिंह
3	" जसवीर सिंह	जसवीर सिंह
4	" प्ररन सिंह	प्ररन सिंह
5	" कुमवीर सिंह	कुमवीर सिंह
6	" रवि	रवि
7	" शिवकुमार	शिव कुमार
8	" जसवंत सिंह	जसवंत सिंह
9	= बलदेव सिंह	बलदेव सिंह
10	= गुरमज सिंह	गुरमज सिंह
11	= हिन्दू सिंह	हिन्दू सिंह
12	हरिप्रकाश गुप्ता	हरिप्रकाश गुप्ता
13	गुरमल सिंह	गुरमल सिंह
14	गुरमीत सिंह	गुरमीत सिंह
15	प्रेमपूजा	प्रेमपूजा
16	गुमान सिंह	गुमान सिंह
17	रामादेव	रामादेव
18	Om Vinod Singh	Om Vinod Singh
19	मंगत सिंह	मंगत सिंह
20	विजयपाल	विजयपाल
21	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह

22 गुमपीन सिंह = Gurdeep Singh महजीत कौर
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कन्दला
वि० ख० रामनगर (नानीताल)

रामादेव
रामादेव रावत
गोट गुमारी
गंजारी गुमारी

दि० 10-09-21

परियोजना का नाम - कोसी नदी से उपखनिज युक्त काल

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी नदी से उपखनिज युक्त परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्वामीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त हुआ है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवार की संख्या
1	2	3	4
1-	कन्दूला	736	187
2-	करैमपुरी	495	100



रबल
५०५० रबल

मनप्रीत कोर
प्रधान
ग्रामपंचायत कन्दूला
वि० ख० रामनगर (ननाताल)

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गुलजारपुर, जगनपुर
तहसील - रामनगर, जिला - नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुलजारपुर द्वारा दिनांक 1.1.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनापत्ति वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुलजारपुर, जगनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Rajan Kumar
ग्राम प्रधान
गुलजारपुर

Gurpreet Singh
Ramesh Singh
Jagdish Singh

Rajan Kumar
उप प्रधान
ग्राम पंचायत गुलजारपुर
वि० नं० काशीपुर (उ.सि० नगर)
वि० नं० प्रधम / सरपंच
मुहर सहित

Singh

हरिपाल सिंह
Raghavveer Singh

Jagdish Singh

सुरवीर सिंह
Ramesh Singh

सुरवीर सिंह
सतनाम सिंह

मनका महि

राशिद
Vikram

बंजारी प्रेम
सम. सं. रावल
गैर प्रभासी
बंजारी प्रेम

दिनांक 11.07.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गुलजारपुर, जिला काशीपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गजानंद सिंह	Gagan Singh
2	जगदीश सिंह	Jagdish
3	जगदीश सिंह	Jagdish
4	सुखनन्त सिंह	Sukhnant Singh
5	प्रदीपपाल सिंह	Pradiपाल Singh
6	Raghuvendra Singh	Raghuvendra Singh
7	जयदीप सिंह	Jaydeep Singh
8	सुरवीन्दर सिंह	Surवीन्दर सिंह
9	प्रदीप सिंह	Pradiपाल Singh
10	Gurpreet Singh	Gurpreet Singh
11	Parampal Singh	Parampal Singh
12	Sagdeep Singh	Sagdeep Singh
13	सुरवीन्दर सिंह	Surवीन्दर सिंह
14	सुखवीन्दर सिंह	Sukhवीन्दर सिंह
15	सतनाम सिंह	Satnam Singh
16	सतनाम सिंह	Satnam Singh
17	राशद खान	Rashad Khan
18	Vikram Singh	Vikram
19		
20		

Gagan Singh

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गुलजारपुर
वि०ख० काशीपुर (उ.सि० नगर)

सम. रस. 21.9.20
बेट गुलारी
जिला काशीपुर

परियोजना का नाम - कोसी नदी से उपखनिज जुगान कार्य

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोसी नदी से उपखनिज जुगान परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाले जनसंख्या	परिवार की संख्या
1	2	3	4
1-	गुलजारपुर	800	90
	जगतपुर	1,000	110



स्वतः

9090 स्वतः


उप प्रधान
ग्राम पंचायत गुलजारपुर
वि०ख० काशीपुर (उ.सि० नगर)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गजरोला

तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ताराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गजरोला द्वारा दिनांक 09/09/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गजरोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम प्रधान 9/09/2021
ग्राम पंचायत गजरोला
वि०ख० बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 09/09/2021 को ग्राम सभा की सम्पूर्ण बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गजरोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	MANJEET SINGH	Manjeet Singh
2	KULJEET SINGH	Kuljeet Singh
3	HARDEV SINGH	Hardev Singh
4	JASWINDER SINGH	Jaswinder Singh
5	HARJINDER SINGH	Harjinder Singh
6	KAMALJEET SINGH	Kamaljeet Singh
7	MA GHAR SINGH	Ma Ghar Singh
8	KASAMMER SINGH	Kasammer Singh
9	BALJEET SINGH	Baljeet Singh
10	KULWANT SINGH	Kulwant Singh
11	SURJEET SINGH	Surjeet Singh
12	MALKEET SINGH	Malkeet Singh
13	HARMINDER SINGH	Harminder Singh
14	LAKHEJEE SINGH	Lakhejee Singh
15	PARTAB SINGH	Partab Singh
16	KULDEEP SINGH	Kuldeep Singh
17	DDAR SINGH	DDAR Singh
18	MANJEET SINGH	Manjeet Singh
19	PAWANJEET SINGH	Pawanjeet Singh
20	SURENDAR SINGH	Surender Singh

वन विभाग की कार्यवाही के संबंध में ग्राम सभा की बैठक में उपस्थितियों का विवरण

- ① नरसिंह सिंह
- ② मनोज कुमार
- ③ महेश चंद्र
- ④ मोहन सिंह

हस्ताक्षर 09/09/2021
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गजरोला
वि०ख० बाजपुर (कधमसिंह नगर)

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - इरवा तहसील बाजपुर जिला उ.प्र.
तहसील - इरवा, जिला - इरवा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत इरवा द्वारा दिनांक 10/09/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम इरवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम प्रधान/सचिव
मुहर सहित
दिनांक 10/09/2021

दिनांक 10/09/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...इटवा...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सतनाम सिंह	
2	रनवीर सिंह	
3	निरवैर सिंह	
4	गुरजीत सिंह	
5	मलकीत सिंह	
6	सुकरवा सिंह	
7	हरवंश सिंह	
8	भूपेन्द्र सिंह	
9	मंजीत सिंह	
10	दिन्दरपाल सिंह	
11	सुखविन्दर सिंह	
12	रंजीत सिंह	
13	प्रेम सिंह	
14	दलीप सिंह	
15	उनात्मा सिंह	
16	सल्लेन्द्र सिंह	
17	जोगा सिंह	
18	अशोक सिंह	
19	जसविन्दर सिंह	
20	मलकीत सिंह	

21. सोना सिंह सोना

22. चरण सिंह पुरनसिंह

23. केवल सिंह

कम निम्न कमिटी ने उक्त बैठक में प्रतिनिधित्व किया

① नूर सिंह सोना

② मनोज चंद पुष्प

③ महेन्द्र चंद पुष्प

④ मोहन सिंह गेरी - Mahans Nagi

ह0/0
ग्राम प्रधान
रजवीन्दर कौर
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
दि 10/09/2020

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गोवरा

तहसील बाजपुर जिला उदयपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोवरा द्वारा दिनांक 11.09.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोवरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत गोवरा

वि.स. बाजपुर (उ.सि.कमर)

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

दिनांक 11/09/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...गोवरा...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नरेन्द्र सिंह	Narender Singh
2	हेलराज वाड मैम्बर	88
3	मोहित	Mohit
4	वलवीर सिंह	Balbir Singh
5	दिनेश कुमार	Dinesh Kumar
6	गौरव	Gowran
7	शिवम्	Shivam
8	पहेश कुमार	Mahesh Kumar
9	विष्णु कान मजोवडा	Visnu Kanjori
10	जसपाल	Jaspal
11	परमजीत	Paramjit
12	हरमजन	Harbhajan
13	कश्मीर चन्द	Kashmeer
14	अमरजीत	Amarjeet
15	नरेश	Narash
16	रतन लाल	Ratan Lal
17	विश्वन लाल	Vishwan Lal
18	हांडा सिंह	Handa Singh
19	परमजीत सिंह	Paramjit Singh
20	अमर चन्द	Amar Chand

उक्त बैठक में वरिष्ठ ग्रामवासियों ने
प्रतिपाद्य किया
1. नूति सिंह
2. मनोज चड्ढा
3. महेश चन्द
4. मोहन सिंह कोती

हस्ताक्षर -
ग्राम प्रधान (ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत केवला
वि.ख. बाजपुर (ऊ.सि.बि.क.)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जोगीपुरा

तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर

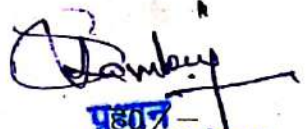
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है० (181.00 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोगीपुरा द्वारा दिनांक 13/09/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोगीपुरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

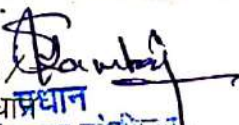
प्रमाणित किया जाँ सत्य एवं सही है।


प्रधान -
ग्राम पंचायत जोगीपुरा
वि०ख० बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)

दिनांक 31/09/2023 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जोगीपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कृष्ण कुमार	
2	संदीप कुमार	Sandip
3	गुलशन कुमार	गुलशन
4	रामराम	रामराम
5	जेकसिंह	जेक सिंह
6	ब्रह्मा सिंह	ब्रह्मा सिंह
7	हरभाजन लाल	हरभाजन लाल
8	चानन राम	चानन राम
9	मिलरवर राज	मिलरवर राज
10	रविश कुमार	रविश कुमार
11	विशान सिंह	विशान सिंह
12	राजकुमार	Ram
13	रमेश लाल	रमेश लाल
14	निशान सिंह	निशान सिंह
15	मोहन लाल	Mohan Lal
16	सुखराम	सुखराम
17	चमो लाल चन्द	चमो लाल
18	चिम्पन लाल	चिम्पन
19	बलदेव राज	बलदेव
20	सुल्का सिंह	सुल्का

उक्त बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही की
ने प्रमाणित किया
(1) न. सिंह
(2) मेहनत चंद
(3) मेहनत चंद
(4) मोहन सिंह

हो 
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत जोगीपुरा
वि० ख० बाजपुर, (कृष्णसिंह नगर)